

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :-

जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकासखण्ड धारचूला के रौंथी से बोरगाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.000 किमी० हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़।

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट, परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकासखण्ड धारचूला के रौंथी से बोरगाँव तक मोटर मार्ग (लम्बाई 2.000 कि0मी0) (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.275 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.275 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (तहसील धारचूला) की दिनांक 6.11.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सो. प्रिया कर, जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री श्री. रमेश चंद अध्यक्ष, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
2- श्री वित्तय भगवत सदस्य, प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़।
3- श्री श्री. रमेश चंद सदस्य/सचिव, जिला समाज कल्याण अधिकारी।
4- श्री श्री. प्रज्जुला बुद्धियाल सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र ...।
5- श्री अमर चन्द सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र ...।
6- श्री कमलेश झा सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र ...।

सचिव, द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि रौंथी से बौरा गॉव मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.00 कि०मी०) परियोजना हेतु 0.275 हे० वनभूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, वनप्रभाग पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकासखण्ड धारचूला के रौंथी से बोरागाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.000 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु 0.275 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

जिलाधिकारी (अध्यक्ष), पिथौरागढ़।
पिथौरागढ़

जिला पंचायत सदस्य, (सदस्य)
सदस्य जिला पंचायत
(01 सिदांग) धारचूला
पिथौरागढ़

प्रभाषी वनाधिकारी (सदस्य)
पिथौरागढ़।

जिला पंचायत सदस्य (सदस्य)
क्षेत्र नं. १

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
जिला (सदस्य/ सचिव) अधिका।
(पिथौरागढ़)।

जिला पंचायत - सरमोली
मनस्यारी, पिथौरागढ़

FROM -1
GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR PITHORAGARH

No. 42.....

Dated..6.12.2013...

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter no. 11-9/98-EC(pt) dated 3rd august 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes and with MOEF,s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.275 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Construction Division P.W.D. Askote) for **Construction of Ranthi to Boragaon Moter Road** (Purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh Distt. falls within jurisdiction of **Ranthi (Boragaon) Village in Dharchula Tahsils.**

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out of the entire 0.275 hectares area proposed for diversion A copy of records of all consolation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha (s) sub-division level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required as required under section 3 (2) of FRA have been completed and the Gram Shabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural at communities

Encl: As above

Signature

(Full Name of the official
seal of the District Collector)

It is further certified that :

Sl. No.		
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 0.1275 of forest area proposed for diversion . A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights committee are enclosed an annexure I to annexure.	Yes. Copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers. No objection certificate of concerned motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.

Encl: As above

27/11/18
अधिकासी अभियन्ता:
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट (पिथौरागढ़)

जिला सहायक सहायक अधिकारी
पिथौरागढ़

Signature
(Full Name of the official seal of the District Collector)

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के रौंथी से बोरा गॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि.मी.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - रौंथी, तहसील- धारचूला, जिला- पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाणपत्र

विकासखण्ड में जनपद - पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के रौंथी से बोरा गॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि.मी. परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.275 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.275 हे० वन भूमि का निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अस्कोट, विभाग / सारथा के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया :

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रौंथी द्वारा दिनांक 20-11-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रौंथी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव


ग्राम पंचायत धारचूला
वि० ब० धारचूला

ह०/-

ग्राम प्रधान


प्रमाणित 20/11/14
वन अधिकार रौंथी
वे० खण्ड धारचूला (पिथौरागढ़)

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 20-11-14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत - रौंथी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	मदन सिंह	मदन सिंह
2-	मन्वान कोसामन	मन्वान कोसामन
3-	देव सिंह कोसामन	देव सिंह कोसामन
4-	परम सिंह	परम सिंह
5-	मन्वान सिंह	मन्वान सिंह
6-	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
7-	वीर सिंह	वीर सिंह
8-	राजेश्वर सिंह	राजेश्वर सिंह
9-	शुक्ल सिंह	शुक्ल सिंह
(10)	रामा सिंह	रामा सिंह
(11)	पान सिंह	पान सिंह
(12)	राम सिंह	राम सिंह
(13)	रतन सिंह	रतन सिंह
(14)	नारायण सिंह	नारायण सिंह
(15)	अजुन सिंह	अजुन सिंह

ह0/-
ग्राम प्रधान
दिनांक 20/11/14
ग्राम पंचायत रौंथी
के0 कृष्ण चरण (मिनीराम)

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :-

जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रॉथी से बोरा गॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि.मी।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, धारचूला

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, धारचूला

उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रॉथी से बोरा गॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि.मी। (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.275 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे० वन पचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.275 हे० वन भूमि) का निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील - धारचूला) की दिनांक 01-12-2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री प्रमोद कुमार, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|-------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 1- | श्री प्रमोद कुमार | उपजिलाधिकारी | प्रमोद कुमार | अध्यक्ष |
| 2- | श्री | उप प्रभागीय वनाधिकारी | | सदस्य |
| 3- | श्री जीतराम आर्य | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | जीतराम आर्य | सदस्य / सचिव |
| 4- | श्री सीरदा बोर | बी०डी०सी० क्षेत्र | सीरदा बोर | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रॉथी से बोरा गॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि.मी। परियोजना हेतु 0.275 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रॉथी से बोरा गॉव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि.मी। परियोजना के निर्माण हेतु 0.275 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता

एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड
स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-धारचूला,
जनपद - पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सहायक समाज कल्याण अधिकारी
धारचूला- (पिथौरागढ़)


उप जिलाधिकारी

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-धारचूला
जनपद - पिथौरागढ़